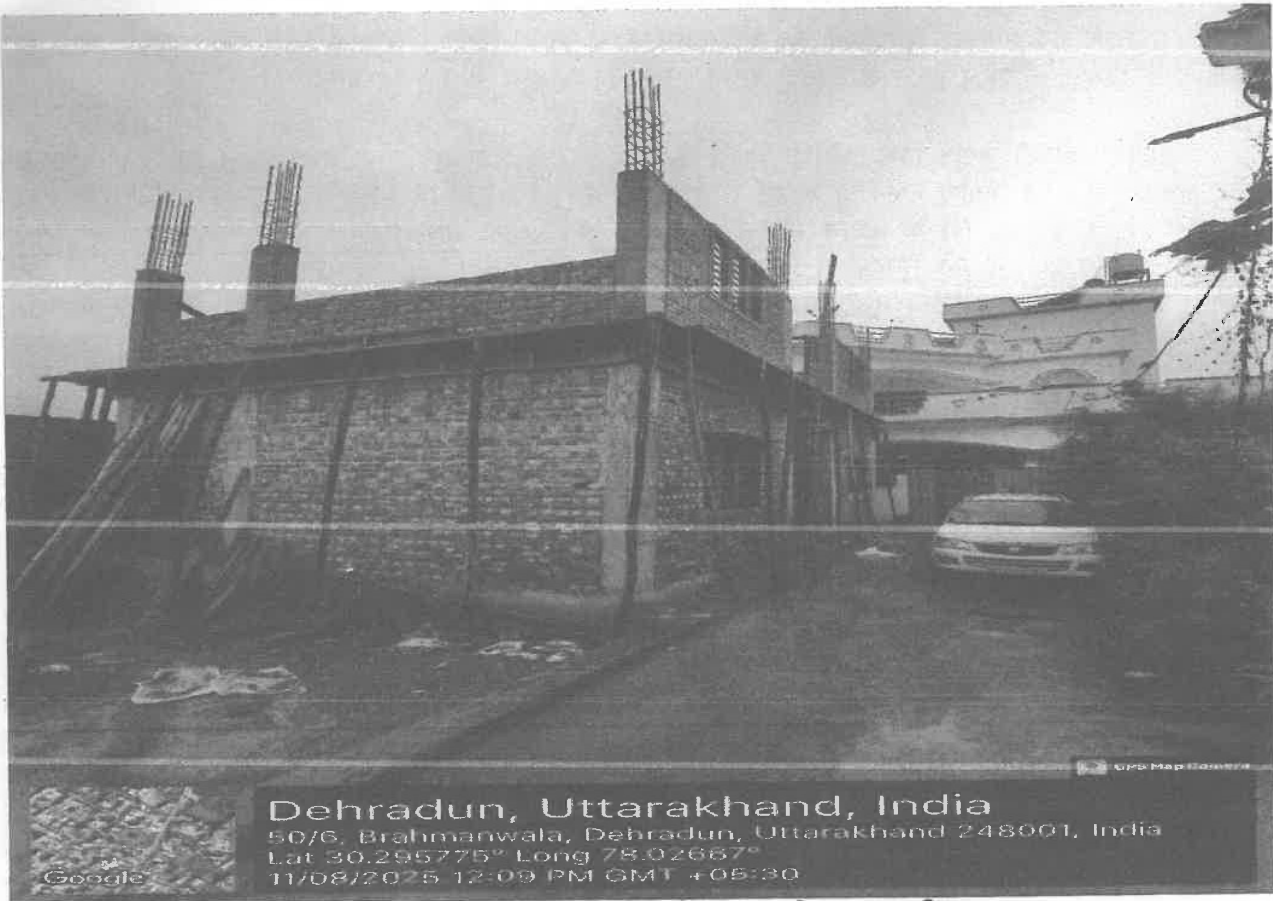




Dehradun, Uttarakhand, India

50/6, Brahmanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001, India

Lat 30.295775° Long 78.02687°

11/08/2025 12:09 PM GMT +05:30

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक : 3002 वाद संख्या आर-1009/ सैक्टर-1/2025

दिनांक: 10-10-2025

श्रीमती कुशुम बिष्ट,
सिंगल मण्डी-2, कारगी रोड,
देहरादून।

कृपया श्री सोहन सिंह बिष्ट की शिकायत पर उक्त स्थल पर 30 गुणा 20 फिट क्षेत्रफल में भवन निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) एवं 28 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-1009/एस-1/2025 योजित किया गया। दिनांक 27.08.2025 की सुनवाई में आपके द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-0152/25-26 की छाया प्रति दाखिल करते हुए उल्लेख किया गया कि मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 08.09.2025 में स्पष्ट किया गया कि स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-0152/25-26 का उल्लंघन कर फुन्ट सेट बैक को कवर दिया गया साथ ही रोड वाईडनिंग को कवर करते हुए 2.25 मी0 के स्थान पर 0.5 मी0 छोड़ा गया है। दिनांक 10.09.2025 को आप सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता श्री सोहन सिंह उपस्थित हुए और आपके निर्माण की शिकायत की गयी। पुनः पत्रावली जांच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 अनुसार आपके द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही विपक्षी द्वारा शमन मानचित्र सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण रोकने के लिए निर्माण सील किये जाने की संस्तुति की गयी है।

Kumudh
13-10-25



6m

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण के सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

आदेश

विपक्षी श्रीमती कुशुम बिष्ट, सिंगल मण्डी-2, कारगी रोड, देहरादून द्वारा उक्त स्थल पर 30 गुणा 20 फिट क्षेत्रफल में भवन निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) एवं 28 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-1009/एस-1/2025 योजित किया गया। दिनांक 27.08.2025 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-0152/25-26 की छाया प्रति दाखिल करते हुए उल्लेख किया गया कि मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 08.09.2025 में स्पष्ट किया गया कि स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-0152/25-26 का उल्लंघन करते हुए फ्रन्ट सेट बैक को कवर करने के साथ ही रोड वाईडनिंग 2.25 मी0 के स्थान पर 0.5 मी0 छोड़ा गया है। दिनांक 10.09.2025 की सुनवाई में विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता श्री सोहन सिंह उपस्थित हुए और विपक्षी द्वारा किये जा रहे निर्माण की शिकायत की गयी। पुनः पत्रावली पर जांच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 अनुसार निर्माण कार्य लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही विपक्षी द्वारा शमन मानचित्र सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण रोकने के लिए निर्माण सील किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में चालान शुदा निर्माण पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.11.25.....को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को ~~सील करने~~ की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए /2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।